Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 51/2024

श्री मातवर सिंह
निवासी– ग्राम– मटोगी
पो0ओ0– मदर्सू, विकासनगर
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

दिनांकः 26.11 .2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का विद्युत खाता सं0 40102868856 के अन्तर्गत कई वर्षो से सुचारू रूप से विद्युत बिलों का भुगतान करता आ रहा है। प्रार्थी का सामान्यतया दो महीने का बिल 600 से 700 रूपये आया करता था किन्तु 28.06.2023 को 65 दिनों का रू0 30187 का बिल प्रार्थी को प्रदान किया गया जिसमें 4527 यूनिट की खपत दिखाई गई। (बिल की प्रति संलग्न)

उपरोक्त अप्रत्याशित बिल के सम्बन्ध में प्रार्थी ने विभाग से संपर्क किया और विभाग के कहने पर सभी आवश्यक कार्यवाही की गई किन्तु अन्त में विभाग ने रू0 17200 का संशोधित बिल प्रदान कर दिया गया जो कि न्यायसंगत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल. क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नहीं है। संशोधित बिल की प्रतिलिपि भी इसके साथ संलग्न की गई है। प्रार्थी महोदय को निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराना चाहता है–

1. प्रार्थी के घर में विद्युत उपकरणो के नाम पर एक टी0वी0, एक पंखा और 06 बल्ब हैं जिनमें से केवल 02 बल्ब ही अधिकतर प्रयोग किये जाते है।
2. प्रार्थी के घर में केवल दो सदस्य स्थायी रूप से रहते है और प्रार्थी की उम्र 83 वर्ष है।
3. प्रार्थी का गॉव दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में है। यातायात के सीमित साधन होने के कारण देहरादून आने और वापिस गॉव पहुॅचने में 03 दिन लग जाते हैं।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के दृष्टिगत आपसे विनम्र निवेदन है कि संशोधित और न्यायसंगत बिल बनाने के लिए विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2989,, दिनांकित 03/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 51/2024 श्री मातवर सिंह, निवासी ग्राम मटोगी पो0–मदर्सू, विकासनगर, देहरा योजित किया गया है। इस सन्दर्भ में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन श्री मातबर सिंह के नाम दिनांक 28.04.2005 को STN 10-OTHER DOMEXTIC LOAD UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. परिवादी द्वार अपनी शिकायत में मा0 फोरम को विद्युत संयोजन सं0 VN24136038245 विद्युत बीजक अत्यधिक धनराशि का प्राप्त होने के संदर्भ में अवगत कराया गया है।

3. खण्ड द्वारा परिवादी का विद्युत रू0 72,820.00 से संशोधित कर रू0 15521.00 किया गया है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा वर्तमान तक देय है।

4. इससे पूर्व परिवादी द्वारा अन्तिम बार विद्युत बीजक का भुगतान दिनांक 22.02.2023 को रू0 300.00 का किया गया है।

अतः परिवादी का विद्युत बीजक संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है तथा वर्तमान में लम्बित विद्युत देयों का भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 24.04.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि 08.03.2024 अर्थात् 04 विद्युत बिल चक्रों में असामान्य विद्युत खपत यूनिट 9934 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में रही है और न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 24.04.2023 से 08.03.2024 अर्थात् 04 विद्युत बिल चक्रों में जिस अनुपात से विद्युत बिल प्रेषित किये गये है वह

परिवादी की पूर्व खपत से काफी अधिक है। जिसे मंच बिना किसी ठोस तकनीकी साक्ष्य के स्वीकार नहीं कर सकता है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पत्ति हुई जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी द्वारा 319 दिनों में दर्शायी गई 9934 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विपक्षी इस खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 24.04.2023 से 08.03.2024 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक Uttarakhand Power Corporation Ltd. rate Schedule effect from 01-04-2023 as per order dated 30-03-2023 of UERC A General Condition of supply (5) **Billing in case of domestic metered consumers in rural/hilly areas whose meter are not being read**-: for cases relating to domestic metered consumers in rural/hilly areas,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

where meter reading is either not being taken regularly or teken randomly over delayed interval of time, the provisional billing under these circumstances for such consumers shall be done at the normative levels of consumption as given below, which shall be subjected to annual adjustment based on actul meter reading. Domestic (Rural-Hilly Areas) 30 KWh/kw/ month. के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि **Uttarakhand Power Corporation Ltd. rate Schedule effect from 01-04-2023 as per order dated 30-03-2023 of UERC A General Condition of supply (5) Billing in case of domestic metered consumers in rural/hilly areas whose meter are not being read-**: for cases relating to domestic metered consumers in rural/hilly areas, where meter reading is either not being taken regularly or teken randomly over delayed interval of time, the provisional billing under these

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

circumstances for such consumers shall be done at the normative levels of consumption as given below, which shall be subjected to annual adjustment based on actul meter reading.

Domestic (Rural-Hilly Areas) 30 KWh/kw/ month के अनुसार परिवादी के विद्युत बीजक दिनांक दिनांक 24.04.2023 से 08.03.2024 अर्थात् 04 विद्युत बिल चक्रों के विद्युत बिल संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

26/11/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26.11.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 72/2024

श्रीमती सुखदर्शन कौर — परिवादी
निवासी– 40, विजय पार्क नियर पार्क–2
बल्लूपुर रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 08/11/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

I am writing to bring to your attention a significant issue regarding my electricity bill for the months of July and August 2024. My consumer number is SD76112141505, and my account is registered under Sukhdarshan Kaur.

For the aforementioned months, I was shocked to receive an unusually high electricity bill that does not align with my typical consumption over the past 10 years. In response to this, I promptly lodged a complaint with the electricity department, and they were kind enough to install a check meter to monitor my usage.

The check meter results have shown that my average electricity consumption remains consistent with the historical data of the past decade, this clearly indicates that the current electricity meter is malfunctioning and generating erroneous readings, leading to the inflated bill because check meter was installed for 21 days whose consumption units was 197 units and for previous month, before the installation of check meter, they generated bill for 908 units for a month and during the installation period of chek meter they generated the bill of 757 units. That is not possible if my check meter is showing 197 units, so how can they generate the bill for 757 units. For that the reason we filled a complaint. Given this , I respectfully that you adjust the bill for the months of july and august according to the accurate readings from the check meter. I am unable to bear the financial burden of this excessively high billdur to fault that lies with the equipment provided by the electricity company. Iam attaching the consumption of electricity units according to chech

meter reports and previous year's electricity consumption records. I trust you will address this issue with the urgency it and provide the necessary relief by recalculating my bill based on the correct usage data.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 747, दिनांकित 12.09.2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती सुखदर्शन कौर, 40, विजय पार्क, नियर पार्क–2, देहरादून (विद्युत संयोजन संख्या SD76112141505) के वाद संख्या 72/2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता की शिकायत में उनके मीटर की रीडिंग अधिक आने आदि के सम्बन्ध में कहा गया है। चूँकि उपभोक्ता द्वारा उनके मीटर की रीडिंग अधिक आने आदि की शिकायत की गई है, अतः इस कार्यालय के पत्र सं0 742/वि0वि0ख0 बसंत विहार/मीटर दिनांक 10.09.2024 से सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), देहरादून को उपभोक्ता के मीटर संख्या 300766 के जम्प होने की जॉच कर एम0आर0आई0 रिर्पोट तथा आख्या प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है जिसका उत्तर प्रतिक्षित है। इसी क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 823 दिनांकित 03.10.2024 से मंच को अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र सं0 747 दिनांक 12.09.2024 से सहायक अभियन्ता(मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून से उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 रिर्पोट एवं आख्या प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके सन्दर्भ में एम0आर0आई0 रिर्पोट की प्रति संलग्न है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा माह जून 2024 व जुलाई 2024 में अधिक खपत की गई है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर भी लगवाया गया था, जिसमें

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटर का तेज चलना नहीं पाया गया है। माह जून 2024 एवं जुलाई 2024 में मीटर रीडिंग गलत अंकित करने के सम्बन्ध में बिल संशोधन प्रकरण तैयार कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार विपक्षी द्वारा माह जुलाई एवं अगस्त में उन्हें उनकी वास्तविक खपत से अधिक के बिल जारी किये गये है जो कि उनकी पूर्व वास्तविक खपत के अनुसार काफी अधिक के है, जिसके सबंध में परिवादी द्वारा मंच के सम्मुख उक्त वाद दायर कराया गया है। उपरोक्त के संबंध में मंच द्वारा विपक्षी को आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि सहायक अभियन्ता(मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून से उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 रिर्पोट एवं आख्या प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके सन्दर्भ में एम0आर0आई0 रिर्पोट प्रस्तुत की गई जिससे से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा माह जून 2024 व जुलाई 2024 में अधिक खपत की गई है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर भी लगवाया गयां था, जिसमें मीटर का तेज चलना नहीं पाया गया है। माह जून 2024 एवं जुलाई 2024 में मीटर रीडिंग गलत अंकित करने के सम्बन्ध में बिल संशोधन प्रकरण तैयार कर दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई रिर्पोट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को एम0आर0आई0 रिर्पोट के आधार पर संशोधित विद्युत बिल प्रेषित किये गये हैं, जो कि उनकी वास्तविक खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियमानुसार सही है तथा इनमें अब किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

संशोधित विद्युत बिल परिवादी द्वारा देय होगें। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/11/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

08-11-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 74/2024

Smt. Laxmi Rani w/o Late Ravindra Mohan V/s Executive Engineer, EDD, (North) D.Dun

ORDER SHEET

Date- 14.11.2024

निर्णय

पत्रावली दिनांक 04.11.2024 को पेश हुई। परिवादी उपस्थित है। विपक्षी अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा सुनवाई से पूर्व ही वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत संयोजन करोना कॉल से एक दिन पहले विच्छेदित कर दिया गया था, उसके बाद वह अपनी बेटी के ईलाज के लिए लगभग 1.5 साल बाहर रहे, इसी दौरान विद्युत विभाग द्वारा विद्युत मीटर भी उतारा गया एवं रू0 14000.00 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया है जो कि उनकी वास्तविक खपत के आधार पर नही बनाया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को उक्त विद्युत बिल को संशोधित करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 372 दिनांकित 11.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या 702128093580 दिनांक 16.12.2021 को विद्युत बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था। उक्त संयोजन का स्थाई विच्छेदन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2020 के अध्याय 6 के बिन्दु 6.1 के अनुपालन में कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14.11.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

14.11.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Zone)
UrjaBhawan, Kanwali Road,
8001
45,2769755,2761956
63672-75 Ext. 257 Fax:2767395
rfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

वाद संख्या 100 / 2024 से 110 / 2024

परिवाद सं0 100 / 2024
श्री राकेश,
निवासी– ई0एफ0 – 304, तृतीय फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।
एवं
परिवादी

परिवाद सं0 101 / 2024
श्री अमर जीत मिश्रा,
निवासी– ई0बी0 – 304,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।
एवं
परिवादी

रिवाद सं0 102 / 2024
ी शालीकग्राम
िवासी– ई0ए0 – 101,प्रथम फ्लोर,
म0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
हरादून।
एवं
परिवादी

रेवाद सं0 103 / 2024
मती रोशनी देवी
वासी– ई0सी0 – 201,द्वितीय फ्लोर,
0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
रादून।
एवं
परिवादी

वाद सं0 104 / 2024
ती पिकी देवी नौटियाल
सी– ई0के0 – 002,
डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
ादून।
एवं
परिवादी

द सं0 105 / 2024

परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

श्रीमती रूबीना सरकार एवं
निवासी– ई0बी0 – 102, प्रथम फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवाद सं0 106/2024 परिवादी
श्री कुलदीप कुमार एवं
निवासी– ई0के0 – 103, प्रथम फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवाद सं0 107/2024 परिवादी
श्रीमती ओम कुमारी शर्मा, एवं
निवासी– ई0जे0 – 204, द्वितीय फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवाद सं0 108/2024 परिवादी
श्री सतपाल एवं
निवासी– ई0जे0 – 303, तृतीय फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवाद सं0 109/2024 परिवादी
श्रीमती दीपमाला एवं
निवासी– ई0के0 – 102, द्वितीय फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

परिवाद सं0 110/2024 परिवादी
श्रीमती सीता देवी, एवं
निवासी– ई0जे0 – 302, तृतीय फ्लोर,
एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आमवाला तरला, सहसत्रधारा रोड,
देहरादून।

Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 25 .11.2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त सभी वाद परिवादीगण की ओर से उनके परिसर पर लो वोल्टेज की शिकायत के संबंध में योजित किये गये हैं।

उपरोक्त सभी परिवाद एक ही प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

परिवादीगण के द्वारा अपने शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी कॉलोनी में काफी समय से विद्युत की लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई हैं, तथा वोल्टेज की उतार–चढाव की समस्या भी है, जिस कारण अनके आवासों में विद्युत उपकरण खराब हो रहे है, जिस बारे में विद्युत विभाग को काफी बार अवगत कराया गया है लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त समस्या का समाधान कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 941 दिनांकित 07/11/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा जो लो वोल्टेज के संबंध में शिकायत थी वह स्ट्रीट लाईट

से संबंधित थी जिसका एम0डी0डी0ए0 द्वारा समाधान कर दिया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अपना लिखित में प्रत्यावेदन भी दिया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायत के समाधान के संबंध में लिखित रूप से मंच को अवगत करा दिया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादीगणों के लिखित संतुष्टि पत्र से भी हो जाती है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वादों को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद निस्तारित किये जाते हैं। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/11/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/11/2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य